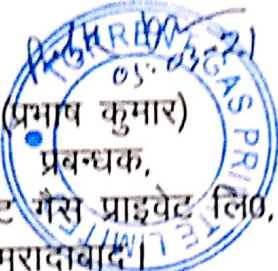
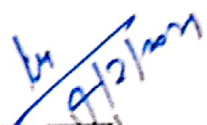


प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि का स्वामित्व/मूल्य प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि टोरेट गैस प्रा० लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कांठ मार्ग (एस०एच०-49) के कि०मी० चैनैज 6.870-22.215 तक बाँयी पटरी एवं कि०मी० चैनैज 22.215-30.570 तक दाँयी पटरी पर गैस पाइपलाईन बिछाने हेतु 1.4118 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवेदित संरक्षित वन भूमि पर स्वामित्व लोक निर्माण विभाग/एन०एच०ए०आई० का है तथा वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति हेतु वांछित वनीकरण की योजना तथा वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय का भार वहन करने एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर भूमि के नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (एन०पी०वी०) का भुगतान यदि आवश्यक होगा तो यह शर्त मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जायेगा। अपेक्षित संरक्षित क्षेत्र/भूमि की माँग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेट गैस प्राइवेट लि०,
मुरादाबाद।


(कन्दैया पटेल)
प्रमाणित निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।


जिलाधिकारी,
मुरादाबाद।